केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (PMMSY) या योजनेसाठी SNA-SPARSH ही प्रणाली लागू करण्यासाठी केंद्र शासनाने Mother Sanction मंजूर केलेला केंद्र हिस्सा व त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा रक्कम अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीवर पुर्न:वितरित करण्याबाबत..

महाराष्ट्र शासन कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय- मत्स्यवि-१९२३/प्र.क्र.१९४/पद्म-१४

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ दिनांक- ०३ मार्च, २०२५

वाचा-

- 9) कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय, क्र. मत्स्यवि १०२०/प्र.क्र.१००/पदुम-१४, दि.१७/१९/२०२०
- २) भारत सरकार, पदुम मंत्रालय, मत्स्यव्यवसाय विभाग यांचे पत्र क्र. ११७०१२/२९/२०२०-१४, दि.२६/१२/२०२४ चे पत्र.
- ३) आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाचे क्र. मत्स्य/नि/१९१२०६/१९/२०२४/००९, दिनांक ०३/०९/२०२५ रोजीचे पत्र.
- ४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८८/अर्थ-३, दिनांक १५/१०/२०२४
- ५) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्र. मत्स्यवि ११२३/प्र.क्र.११४/पदुम-१४, दि.१५/०१/२०२५
- ६) आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाचे क्र. मत्स्य/नि/१९१२०६/१९/२०२४/८५, दिनांक १७/०२/२०२५ रोजीचे पत्र.

प्रस्तावना -

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (PMMSY) या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता SNA-SPARSH प्रणाली कार्यान्वित करण्याकरीता केंद्र शासनाने सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता Mother Sanction म्हणून रु. २५००.०० लक्ष इतके अनुदान (केंद्र हिस्सा) वितरीत केले होते. त्यानुसार, सदर केंद्र हिस्सा रु.२५००.०० लक्ष व त्यासमरुप राज्य हिस्सा रु.१६६६.६७ लक्ष तरतूद आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास वाचा-५ येथील दिनांक १५/०१.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

वाचा-२ येथील केंद्र शासनाच्या दिनांक २६.१२.२०२४ रोजीच्या पत्रातील मुद्दा क्र. ४ नुसार राज्य शासनास Mother Sanction च्या प्रवर्गामध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्याची तरतुद लक्षात घेऊन, सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता मंजूर करण्यात आलेली तरतूद रू. २५००.०० लक्ष पैकी

रू.१९४०.०० लक्ष सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता, रू. ५००.०० लक्ष अनुसुचित जाती प्रवर्गास आणि रू.६०.०० लक्ष अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरीता विभागून देऊन मंजूरी देण्याबाबत केंद्र शासनास विनंती करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने, केंद्र शासनाने Mother Sanction रू. २५००.०० लक्ष उपरोक्तप्रमाणे विभागून देण्यास दि.१२/२/२०२५ रोजीच्या ई-मेलव्दारे मंजूरी दिली आहे.

सदर मंजुरीच्या अनुषंगाने, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत शासन निर्णय, दिनांक १५.०१.२०२५ अन्वये सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता वितरीत करण्यात आलेला रु. ४१६६.६७ लक्ष (केंद्र हिस्सा रु. २५००.०० लक्ष अधिक राज्य हिस्सा रु. १६६६.६७ लक्ष) निधी सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती व जमाती प्रवर्गामध्ये विभागून देऊन पुर्न:वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत शासन निर्णय, दिनांक १५.०१.२०२५ अन्वये सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता वितरित करण्यात आलेला रु. ४१६६.६७ लक्ष (केंद्र हिस्सा रु. २५००.०० लक्ष अधिक राज्य हिस्सा रु. १६६६.६७ लक्ष) निधीमधुन Artificial Reef बाबत प्राथमिक स्तरावर चाचपणी करण्याकरीता खर्च झालेला रु. ५९००/- इतका (केंद्र हिस्सा रु. ३५४०/- व राज्य हिस्सा रु. २३६०/-) वजा जाता केंद्र हिस्सा रु. २४९९.९६४६० लक्ष (चौवीस कोटी नव्यान्नव लक्ष शहान्त्व हजार चारशे साठ फक्त) व त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा १६६६.६४६४० लक्ष (रूपये सोळा कोटी सहासष्ट लक्ष चौसष्ठ हजार सहाशे चाळीस फक्त) असा एकुण रु. ४१६६.६११०० लक्ष (रूपये एकेचाळीस कोटी सहासष्ट लक्ष एकसष्ठ हजार शंभर फक्त) इतका निधी आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई यांना खालील तक्त्यामध्ये नमुद लेखाशिर्षानिहाय सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर तरतुदीतुन खालील नमुद अटी व शर्तींच्या अधीन राहून पुर्नःवितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

(रु. लाखात)

| अ. | लेखाशिर्ष | वितरीत | पुर्नवितरीत |
|------|--|----------------|----------------|
| क्र. | | तरतुद | करावयाची तरतूद |
| 9 | मागणी क्र.डी-०६, | 9९०.०० | 9९०.०० |
| | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | १०१ गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०४- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०४)(०४) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थीभिमुख योजना | | |
| | (सर्वसाधारण पुरूष) (केंद्र हिस्सा २४ टक्के) | | |
| | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०५ ७५०७) | | |
| २ | मागणी क्र.डी-०६, | 9 २६.६७ | 9२६.६७ |
| | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | १०१ गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०४- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०४)(०५) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थीभिमुख योजना | | |
| | (सर्वसाधारण पुरूष) (राज्य हिस्सा १६ टक्के) | | |
| | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०५ ७५१६) | | |

| 3 | मागणी क्र.डी-०६, | 900.00 | ९००.०० |
|---|--|---------------|-----------------|
| | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, | · | · |
| | १०१ गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०४- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०४)(०६) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थीभिमुख योजना | | |
| | (सर्वसाधारण महिला) (केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) | | |
| | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०५ ७५२५) | | |
| 8 | मागणी क्र.डी-०६, | ६४६.६७ | ξοο . 00 |
| | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | १०१ गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०४- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०४)(०७) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थीभिमुख योजना | | |
| | (सर्वसाधारण महिला) (राज्य हिस्सा २४ टक्के) | | |
| | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०५ ७५३४) | | |
| 4 | मागणी क्र.डी-०६, | 3.60 | 8.00 |
| | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | १०२ नदीमुख/ निमखारे पाणी यातील मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०४- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०४)(०४) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थीभिमुखं योजना | | |
| | (सर्वसाधारण पुरूष) (केंद्र हिस्सा २४ टक्के) | | |
| | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०५ ७५९९) | | |
| Ę | मागणी क्र.डी-०६, | २.४७ | २.६७ |
| | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | १०२ नदीमुख/ निमखारे पाणी यातील मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०४- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०४)(०५) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थीभिमुख योजना | | |
| | (सर्वसाधारण पुरूष) (राज्य हिस्सा १६ टक्के) | | |
| | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०५ ७६०५) | | |
| 9 | मागणी क्र.डी-०६, | ३६.०० | 3६.०० |
| | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | १०२ नदीमुख/ निमखारे पाणी यातील मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०४- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०४)(०६) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थीभिमुखं योजना | | |
| | (सर्वसाधारण महिला) (केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) | | |
| | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०५ ७६१४) | | |
| ۷ | मागणी क्र.डी-०६, | २४.०० | २४.०० |
| | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | १०२ नदीमुख/ निमखारे पाणी यातील मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०४- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०४)(०७) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थीभिमुखं योजना | | |
| L | 1 | i | |

| | (सर्वसाधारण महिला) (राज्य हिस्सा २४ टक्के) | | |
|----|--|---------------|---------------|
| | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०५ ७६२३) | | |
| 9 | मागणी क्र.डी-०६, | 900.00 | 900.00 |
| | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | १०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०४- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०४)(०४) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थीभिमुख योजना | | |
| | (सर्वसाधारण पुरूष) (केंद्र हिस्सा २४ टक्के) | | |
| | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०५ ७६८८) | | |
| 90 | मागणी क्र.डी-०६, | ६६.६ ७ | ६६.६ ७ |
| | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | १०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०४- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०४)(०५) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थीभिमुख योजना | | |
| | (सर्वसाधारण पुरूष) (राज्य हिस्सा १६ टक्के) | | |
| | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०५ ७६९७) | | |
| 99 | मागणी क्र.डी-०६, | 800.00 | 340.00 |
| | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | १०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०४- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०४)(०६) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थीभिमुख योजना | | |
| | (सर्वसाधारण महिला) (केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) | | |
| | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०५ ७७०३) | | |
| 92 | मागणी क्र.डी-०६, | २६६.६७ | २३३.३३ |
| | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | १०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०४- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०४)(०७) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थीभिमुख योजना | | |
| | (सर्वसाधारण महिला) (राज्य हिस्सा २४ टक्के) | | |
| | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०५ ७७१२) | | |
| 93 | मागणी क्र.डी-०६, | 900.00 | ३२९.९६४६० |
| | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | १०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०४- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०४)(०८) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थी हिस्सा नसलेल्या | | |
| | योजना (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) | | |
| | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०५ ७७२१) | | |
| 98 | मागणी क्र.डी-०६, | ६६.६७ | २१९.९७६४ |
| | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | १०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, | | |

| | ०४- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
|------------|--|--------|-------|
| | (०४)(०९) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थी हिस्सा नसलेल्या | | |
| | योजना (राज्य हिस्सा ४० टक्के) | | |
| | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०५ ७७३२) | | |
| 94 | मागणी क्र.डी-०६, | 0.30 | 0.00 |
| | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | १०१ गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०४- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०४)(०८) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थी हिस्सा नसलेल्या | | |
| | योजना (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) | | |
| | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०५ ७५४३) | | |
| 9 ६ | मागणी क्र.डी-०६, | 0.20 | 0.00 |
| | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | १०१ गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०४- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०४)(०९) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थी हिस्सा नसलेल्या | | |
| | योजना (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (कार्यक्रम) | | |
| | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०५ ७५५२) | | |
| 90 | मागणी क्र.डी-०९, | 800.00 | 30.00 |
| | ४४०५-मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च, | | |
| | १०१ गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०१- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०१)(०२) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थी हिस्सा नसलेल्या | | |
| | योजना (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) | | |
| | ५३-मोठी बांधकामे (४४०५ ३४४३) | | |
| 9८ | मागणी क्र.डी-०९, | २६६.६७ | २०.०० |
| | ४४०५-मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च, | | |
| | १०१ गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०१- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०९)(०३) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थी हिस्सा नसलेल्या | | |
| | योजना (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (कार्यक्रम) | | |
| | ५३-मोठी बांधकामे (४४०५ ३४५२) | | |
| 98 | मागणी क्र.डी-०९, | 300.00 | 0.00 |
| | ४४०५- मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च, | | |
| | १०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०२- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०२)(०२) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थी हिस्सा नसलेल्या | | |
| | योजना (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) | | |
| | ३३-अर्थसहाय्य (४४०५ ३४७२) | | |
| | | | |

| २० | मागणी क्र.डी-०९, | २००.०० | 0.00 |
|----|---|---------|----------------|
| | ४४०५- मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च, | | |
| | १०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ०२- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | | |
| | (०२)(०३) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा लाभार्थी हिस्सा नसलेल्या | | |
| | योजना (राज्य हिस्सा ४० टक्के) | | |
| | ५३-मोठी बांधकामे (४४०५ ३४८१) | | |
| २१ | मागणी क्र. एन-०३, | 0.00 | ५००.०० |
| | २४०५- मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ७८९- अनुसुचित जातींसाठी विशेष घटक योजना, | | |
| | (०१) अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, | | |
| | (०१)(४६) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत | | |
| | लाभार्थीभिमुख योजना (केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) | | |
| | ३३–अर्थसहाय्य, (२४०५ ७७९५) | | |
| २२ | मागणी क्र. एन-०३, | 0.00 | ३३३. ३३ |
| | २४०५- मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ७८९- अनुसुचित जातींसाठी विशेष घटक योजना, | | |
| | (०१) अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, | | |
| | (०१)(४७) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत | | |
| | लाभार्थीभिमुख योजना (राज्य हिस्सा २४ टक्के) | | |
| | ३३–अर्थसहाय्य, (२४०५ ७८०१) | | |
| 23 | मागणी क्र. टि-०५, | 0.00 | ξο . 00 |
| | २४०५- मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ७९६- जनजाती क्षेत्र उपाययोजना, | | |
| | (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना, | | |
| | (०१)(५२) प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना(केंद्र हिस्सा ३६ | | |
| | टक्के) | | |
| | ३३-अर्थसहाय्य, (२४०५ ७७६८) | | |
| २४ | मागणी क्र. टि-०५, | 0.00 | 80.00 |
| | २४०५- मत्स्यव्यवसाय, | | |
| | ७९६- जनजाती क्षेत्र उपाययोजना, | | |
| | (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना, | | |
| | (०१)(५३)प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना | | |
| | (राज्यहिस्सा२४ टक्के), ३३-अर्थसहाय्य, (२४०५) ७७७७) | | |
| | एकूण | ४१६६.६७ | ४१६६.६११०० |

- २. सदर कामावरील खर्च उपरोक्त तक्त्यात दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली चालू वित्तीय वर्षी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून विहित पध्दतीचा अवलंब करून भागविण्यात यावा.
- ३. सदर शासन ज्ञापनान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाने यापूर्वी

निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित निकष, वित्तिय अधिकारांचे प्रत्यायोजन व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

- ४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२४/प्र.क्र.८८, अर्थ-३, दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ५. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०३०३१५५०३०८००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(किशोर जकाते) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव
- २. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव
- ३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव
- ४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव
- ५. मा. मंत्री (मत्स्यव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव
- ६. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
- ७. अप्पर मुख्य सचिव, (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई
- ८. अप्पर मुख्य सचिव, (वित्त), मंत्रालय, मुंबई
- ९. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
- १०. प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद /लातूर/अमरावती/नागपूर
- ११. सर्व सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय
- १२. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर
- १३. अधिदान व लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई
- १४. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई
- १५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
- १६. सर्व उपकोषागार अधिकारी
- १७. कक्ष अधिकारी-१२/१३/१६.
- १८. निवडनस्ती